

15

12.12.2006

21/12/2006

प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र उपजिलाधिकारी/सहायक कमिश्नर (प्रथम श्रेणी) माजिगावद।
 वाद संख्या 18/05-40 अन्तर्गत सन 1967 काका जमींदारी विनाश अधिनियम
 ग्राम झुन्डाहेडा परगना सोनी तहसील 8 जिला माजिगावद
 मै0 अरेजो डब्लेवर्स प्रा0 लि0 अन्तर मै0 क्लरिफिकेशन इन्फरमेटिवर्स प्रा0 लि0

12/12

12.12.2006 दिनांक

कमी अरेजो डब्लेवर्स प्रा0 लि0, सी-47, बंगल फोर नई दिल्ली द्वारा क्लरिफिकेशन की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2006 इस आशय से प्रस्तुत किया है कि इस प्रार्थना पत्र के सल्लाहक के पैरा-1 में वर्णित भूमि का प्रार्थी प्रथम पक्ष संवैधानिक भूमिधार आलेदार है। प्रथम पक्ष इस भूमि को द्वितीय पक्ष को विनिमय में देना चाहता है। इस प्रार्थना पत्र के सल्लाहक के पैरा-2 में वर्णित भूमि को द्वितीय पक्ष संवैधानिक भूमिधार आलेदार है। इस भूमि को प्रथम पक्ष विनिमय में लेना चाहता है। उ0प्र0 शासन की प्रदेश के नगरपालीको में भिजी गूनी विवेक के माध्यम से अन्तर्गत योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विवरण की शर्तों के अन्तर्गत उक्त दोनों पक्षों ने ग्राम झुन्डाहेडा परगना सोनी में स्थित नाले के पूर्वी तथा पश्चिमी पार्श्वों में अन्तर्गत योजनाओं के विवरण हेतु भूमि अर्जित की है। उ0प्र0 शासन की उक्त नीति के सुनिश्चित विधानों के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष इस गारन्टीरिड विनिमय के लिए पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक है। विनिमय में ली जाने वाली भूमि के लम्बाई गूनी में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं है। विनिमय में ली जाने वाली भूमि के लम्बाई को मट्टे पर रत बंधन नहीं है और न ही इस पर अन्य कोई भार है। बांधे द्वारा उन्हरण खातीनी 1400 से 1433 फुसली ग्राम झुन्डाहेडा खाता संख्या 1002, 1203, 1907, 2232, 2242 व 2309 दाखिल की गई है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार माजिगावद से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार माजिगावद की आख्या दिनांक 06-7-2006 प्राप्त हुई। "तहसील आख्या में कहा गया है कि लेखपाल के पास उपलब्ध भित्ति नदोवरत से प्रत्यक्ष खसरा संख्याओं से इस भूमि की विवरण जापान के अनुसार सजावट परत रेट प्राप्त किया गया तथा दोनों पक्षों की भूमिों का तुलनात्मक विवरण पत्र संस्तर विवरण गया। ग्राम झुन्डाहेडा की भूमि जो प्रथम पक्ष की संवैधानिक भूमिधारी है तथा विनिमय द्वारा प्रस्तावित है।

मै0 अरेजो डब्लेवर्स प्रा0 लि0

वर्तमान खसरासं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल	विवरण जमीन	लगाती दर प्रति बीघा	लगाती दर प्रति है०	लगाती मूल्यविवरण	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1967	718	0.2000	रोयटा रो०	2.72	13.74	2.2339	
	824	0.0500	रोयटा रो०	2.41	9.52	0.7235	
2363	923/1	0.0271	रोयटा रो०	2.72	10.74	0.29105	
7742	923/2	0.0500	रोयटा रो०	2.72	13.74	0.517	



10.8.06
 19.9.06
 6.10

10.8.06
 19.9.06
 6.10

ATTESTED

DEPUTY DISTRICT COLLECTOR

1200	121	0.1140	सेक्टर 30	3.67	14.50	1.653
	778	0.1770	सेक्टर 30	3.67	14.50	2.5665
	1095/1	0.2370	सेक्टर 30	3.67	14.50	3.4365
	1011	0.3160	सेक्टर 30	3.67	14.50	4.582
	792	0.0750	सेक्टर 30	2.72	10.74	0.8182
		1.2657				10.6931

याम लूडहेडा की नूनि चा द्वितीय पदा की संक्रमणीय भूमिपरी है तथा विनिमय द्वारा प्रथम पदा को नूनि मिलती है, के खसरा का विवरण :-

मै 0 अग्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा 0 लि 0

कृषिगत खसरा नं०	खसरा नं०	सेक्टर	विशेष जमीन	लगानी दर प्रति बीघा	लगानी दर प्रति है०	लगानी मूल्यांकन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1200	1067	0.1124	सेक्टर 30	3.67	14.50	9.1098	
2253	1267	0.2568	सेक्टर 30	2.72	10.74	2.1029	
	1658	0.0396	सेक्टर 30	2.72	10.74	0.4250	
	1657	0.1100	सेक्टर 30	3.67	14.50	1.595	
	1658	0.1010	सेक्टर 30	3.67	14.50	3.1973	
	1695	0.1275	सेक्टर 30	2.72	10.74	1.3694	
		1.2069				16.1366	

प्रथम पदा का लगानी मूल्यांकन	16.0931
द्वितीय पदा का लगानी मूल्यांकन	16.1366
अंतर	00.5675
% मूल्यांकन	3.45%

उपरोक्त तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि दोनों पदों के मध्य किये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अंतर है। दोनों पद लगत भूमियों के संक्रमणीय भूमिपार हैं। इसलिये भारत 181 अधिविधियों के अन्तर्गत आवेदक की भूमि का, विनिमय किये जाने की संस्तुति सहित आख्य सेवा में प्रेषित है।

बाद दर्ज कर गालियाबाद विकास प्राधिकरण, गालियाबाद व नगर निगम गालियाबाद को न्यायालय के पत्र संख्या 479/अहमदनगर/2006 दिनांक 07.07.2006 के द्वारा उपरोक्त नमूनों के विनिमय के सम्बन्ध में आपत्ति/आख्या दिनांक 16.07.2006 तक उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया गया किन्तु इनकी ओर से नियत दिनांक तक कोई आपत्ति/आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है। लघुप्रद सरकार को विद्वान नार्मिका एकीक राजस्व के माध्यम से पैरवी करने हेतु रायज जारी किया गया इनकी ओर से भी कोई आपत्ति/आख्या लिखित में प्रस्तुत नहीं की गई।



उपरोक्त पक्षों के अधिवक्तागणों ने विज्ञापन कमीशन बंगलौर राजस्व के समीप बसे चुन्ना भवा एवं पञ्जावली पर उपलब्ध राशियों का परीक्षण किया गया। तद्वर्तील की जाँच आख्या दिनांक 05.07.2006 से स्थित है कि ग्राम दूल्हादेडा की प्रस्तावित भूमि बन्दी/प्रतिबन्दी की संक्रमणीय भूमिगरी भूमि है एवं दोनों पक्षों को भुगतान किये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के प्रस्तावों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है। चूंकि जटि0अधित के द्वारा 1000 के प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त विनिमय के लिए प्रस्तावित भूमियों के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है। इसको अतिरिक्त तद्वर्तील की जाँच आख्या में उपरोक्त भूमि का विनिमय किये जाने की संदिग्धि की गई है तथा किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है अतः पञ्जावली पर उपलब्ध राशियों के आधार पर बाँटी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रस्तावित भूमि को विनिमय किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर बाँटी भी0 जरेजी डेक्लेरेशन प्रान्त लिड, टी-47, कनारा फ्लेस, नई दिल्ली के ग्राम दूल्हादेडा के खाता संख्या 1967 के खसरा नम्बर 714 रकबा 0.2080, 924 रकबा 0.0606 व खाता संख्या 2389 के खसरा नम्बर 923/1 रकबा 0.0271, खाता संख्या 2242 के खसरा नम्बर 923/2 रकबा 0.0500 व खाता संख्या 1002 के खसरा नम्बर 727 रकबा 0.1143, खसरा नम्बर 776 रकबा 0.1270, खसरा 1005/1 रकबा 0.2370, खसरा नम्बर 1011 रकबा 0.0700 व खसरा नम्बर 792 रकबा 0.0700 है। की भूमि का प्रतिबन्दी गैर प्राविधिक इन्फार्मर द्वारा प्रान्त लिड, 305, अरुणाचल बिल्डिंग, 10 बाराखवा रोड, कर्नाट फ्लेस, नई दिल्ली ग्राम दूल्हादेडा के खाता संख्या 1203 के खसरा नम्बर 1047 रकबा 0.06324, खाता संख्या 2232 के खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.1950, खसरा नम्बर 1856 रकबा 0.0366, खसरा नम्बर 1857 रकबा 0.01100 खसरा नम्बर 1858 रकबा 0.1014 व खसरा नम्बर 1694 रकबा 0.1275 है। की भूमि से विनिमय स्वीकार किया जाता है। आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तद्वर्तीलदार गोविन्दबाद को इस अधिशय से भेजी जाये कि वह उपरोक्त आदेशों का राजस्व अभिलेखों में अमल प्रसार करता है। इस अनुफलन आख्या एक सप्ताह के अन्दर इस न्यायालय को उपलब्ध बनाना सुनिश्चित करे।



(Handwritten signature)

(विमल प्रताप सिंह)
उपजिलाधिकारी/सहायक बन्दीकार
(प्रथम श्रेणी) गोविन्दबाद।

नमूना सं० 1082

शहस्र जोमेसमी

न्यायालय संपत्ति अधिकारी/सहायक सिलेक्टर (आर्थिक) गाजियाबाद।
 वाद संख्या 2/05-06 अन्तर्गत धारा 161 उ0प्र0 जमींदारी विन्यास अधिनियम
 ग्राम झुन्डाहेड़ा परगना लोनी तहसील न जिला गाजियाबाद

गैर वृद्धि प्रार्थना प्रतिलि० बनाम गैर सुपर टैक कन्स्ट्रक्शन

नमूना निवेद्य प्रिमाण 29.7.06

पट्टी गैर वृद्धि प्रार्थना प्रतिलि० बी-47, कनाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा वरिष्ठ प्रत्यक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2006 इस आशय से प्रस्तुत किया है कि इस प्रार्थना पत्र के संलग्नक के पैरा-1, में वर्णित भूमि का प्रार्थी प्रथम पक्ष संवत्सरीय भूमिधर खातेदार है। प्रथम पक्ष इस भूमि को द्वितीय पक्ष को विनिमय में देना चाहता है। इस प्रार्थना पत्र के संलग्नक के पैरा-2 में वर्णित भूमि के द्वितीय पक्ष संवत्सरीय भूमिधर खातेदार है। इस भूमि को प्रथम पक्ष विनिमय में लेना चाहता है। उ0प्र0 शासन की प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश को माध्यम से आवसीय योजनाओं को लिए भूमि अर्जन एवं विकास की नीति के अन्तर्गत उन्नत दोनों पक्षों ने ग्राम झुन्डाहेड़ा परगना लोनी में स्थित जाले के पूर्वी तथा पश्चिमी गार्डन में आवसीय योजनाओं के विकास हेतु भूमि अर्जित की है। उ0प्र0 शासन की उक्त नीति को सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए यह पारस्परिक विनिमय आवश्यक है। दोनों पक्ष इस पारस्परिक विनिमय के लिए पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि के लगानी मूल्य तथा विनिमय में ली जाने वाली भूमि के लगानी मूल्य में 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर नहीं है। विनिमय की जाने वाली भूमि किसी बड़े पट्टे पर या चंपक नहीं है और न ही इस पर अन्य कोई भार है। बादी द्वारा उद्धरण खतौनी 1408 से 1413 फराली ग्राम झुन्डाहेड़ा खाता संख्या 1123, 2232, 1186 व 1657, 1659 दाखिल की गई है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गाजियाबाद से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या दिनांक 03-07-2006 प्राप्त हुई। "तहसील आख्या में कहा गया है कि लेखापाल के द्वारा उपलब्ध जाले वनोन्मूलन से प्रशस्तता द्वारा संख्याओं से इस भूमि की किसम तहसील के अनुसार सत्यापन परता रेट ज्ञात किया गया तथा दोनों पक्षों की भूमियों का तुलनात्मक विनिमय पत्र तैयार किया गया। ग्राम झुन्डाहेड़ा की भूमि जो प्रथम पक्ष की सार्वजनिक भूमिधरी है तथा विनिमय द्वारा प्रस्तावित है।



गैर वृद्धि प्रार्थना प्रतिलि०

वर्तमान खातारत	खरास सं०	क्षेत्रफल	विनिमय जमीन	लगानी दर प्रति बीघा	लगानी दर प्रति रैठ	लगानी मूल्य/कन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1123	855/1	0.0160	सेक्टर दो	2.72	10.74	0.17	
	815/2	0.0230	सेक्टर रो	2.41	9.41	0.24	
	052	0.0630	सेक्टर दो	0.35	1.35	0.11	
1057	310	0.1205	सेक्टर ओ	3.07	14.50	1.0343	
145	309/2	0.0685	सेक्टर दो	2.72	10.74	0.0505	

1. आवसीय का प्रमाण 19.8.06
 2. आवसीय का प्रमाण का दिनांक 19.8.06
 3. आवसीय का प्रमाण 19.9.06
 4. आवसीय की 6.5.0

Handwritten signature and official stamp of the District Collector, Ghaziabad.

ATTESTED
 CRIMINAL AHAMAD
 No. L.D.M. 020

	024	0.0285	सबटा ओ	3.67	14.50	0.4132
1459	790	0.03190	सबटा दो	2.72	10.74	0.7041
	347	0.0252	सबटा ओ	3.67	14.50	0.365
	507/2	0.0157	सबटा दो	2.72	10.74	0.1626
	741	0.1202	सबटा ओ	3.67	14.50	1.7429
	747	0.0285	सबटा ओ	3.67	14.50	0.4135
	790	0.0222	सबटा दो	2.72	10.74	0.2384
		0.5783				6.8247

प्राप्त पुस्तकालय की भूमि जो द्वितीय पक्ष की संग्रामणीय भूमिधरी है तथा विविध द्वारा प्रथम पक्ष को भूमि मिलनी है, के खसरी का विवरण -

मै० सुपरटेक मन्सदूकरण

वर्तमान खसरा नं०	खसरा नं०	क्षेत्रफल	विराज जमीन	लगानी दर प्रति बीघा	समान दर प्रति है०	लगानी मूल्यांकन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2232	1207/1	0.1772	सबटा दो	2.72	10.74	1.9100	
	1857	0.0842	सबटा ओ	3.67	14.50	1.45	
	1858	0.2004	सबटा ओ	3.67	14.50	2.906	
	1600	0.1158	सबटा दो	2.72	10.74	1.2427	
		0.5783				7.2811	

प्रथम पक्ष का लगानी मूल्यांकन	6.8247
द्वितीय पक्ष का लगानी मूल्यांकन	7.2811
अन्तर	0.4564
% मूल्यांकन	6.59%

उपरोक्त तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विभिन्न के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी दरों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है। दोनों पक्ष पक्षा भूमियों के संग्रामणीय भूमिधर हैं। इसलिये धारा 161 ज०वि०अधि० के अन्तर्गत आवेदक की भूमि का विविध भिन्न जाने की संसृति सहित आख्या सेवा में प्रेषित है।

वाच दार्ज कर माजिस्वाद विकास प्राधिकरण, माजिस्वाद व नगर निगम माजिस्वाद को न्यायालय के पत्र संख्या 479/अहलमद/2006 दिनांक 07.07.2006 के द्वारा उपरोक्त नम्बरों के विविध के सम्बन्ध में आपत्ति/आख्या दिनांक 15.07.2006 तक उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया गया किन्तु इनकी ओर से निम्न दिनांक तक कोई आपत्ति/आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है। उक्त सचिव को विधान माजिस्वाद दफ्तर सचिव के माध्यम से धरती करने हेतु समन जारी किया गया इनकी ओर से भी कोई आपत्ति/आख्या लिखित में प्रस्तुत नहीं की गई।

उभय पक्षों के अधिवक्ताओं व विद्वान भागिन वकील सज्जन के तर्कों को सुना गया एवं गवाहों पर उपलब्ध साक्ष्य साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। तहसील की जींच आख्या दिनेश्वर 08/07/2003 से स्पष्ट है कि ग्राम बूझहेडा की प्रत्येक भूमि चादी/पाँचवादी की संग्रमणीय भूमिधरी भूमि है एवं दोनों पक्षों के गवाह किये जाने काले विविध के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगभगी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अंतर है वृद्धि जांचितअधिक वही पक्ष 181 के प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त विविध के लिए प्रस्तावित भूमियों के लगभगी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अंतर है इससे अतिरिक्त तहसील की जींच आख्या में उपरोक्त भूमि का विविध किये जाने की संरक्षित की गई है तथा किसी भी पक्ष को कोई अप्रति नहीं है आत गवाहों पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रस्तावित भूमि को विविध भिन्न सात उत्तम प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर जादी में वृद्धि प्रापटीज प्राप्ति, बी-47, कनाट पौरा, नई दिल्ली के खाता संख्या 1123 के खसरा नम्बर 855/1 रकबा 0.0100, खसरा नम्बर 845/2 रकबा 0.0250, खसरा नम्बर 852 रकबा 0.0030, खाता संख्या 1857 के खसरा नम्बर 316 रकबा 0.1205 खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 309/2 रकबा 0.0685 व खसरा नम्बर 694 रकबा 0.0285 व खाता संख्या 1659 के खसरा नम्बर 790 रकबा 0.0150, खसरा नम्बर 347 रकबा 0.0252 व खसरा नम्बर 902/2 रकबा 0.0157, खसरा 741 रकबा 0.1202, खसरा 747 रकबा 0.0285, खसरा 790 रकबा 0.0222 है। की भूमि का प्रतिवादी में सुपर टैक गजटेशन, 331, सैक्टर-4, मैडहरी गाडियावाड के खाता संख्या 2232 के खसरा 1267/1 रकबा 0.1779, खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.0042, खसरा नम्बर 1650 रकबा 0.2004, खसरा नम्बर 1696 रकबा 0.1158 है। की भूमि से विविध स्वीकार किया जाता है। आदेश की क प्रमाणित प्रतिदिदि तहसीलदार गाडियावाड को इस आदेश से भेजी जाये कि वह उपरोक्त आदेशों का सार्वजनिक अभिलेखों में अमल दराज करवाते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।



[Handwritten signature] 25.7.06

(धर्मोद प्रताप सिंह)
उपजिलाधिकारी/साहायक कमिशनर
(प्रशास श्रेणी) गाडियावाड.

महल दि० 10/9/20

न्यायालय गाजियाबाद

शहरी जमीन

न्यायालय उपायुक्त/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद।
बंद संख्या 20/05/06 अन्तर्गत धारा 16: उओप्रो जमीनशी विनार अधिनियम
प्राग दुआहेडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद

मै० लिज क रियल एस्टेट प्रा० लि० बनाम मै० सूर्या मर्चेन्ट्स लि०

530
D-1(2)

महल निजंर दि० 29.7.06

वादी मै० लिलाक रियल एस्टेट डवलपर्स प्रा० लि०, बी-47, कनाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा परिष्कृत प्रत्यक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2006 इस आशय से प्रस्तुत किया है कि इस प्रार्थना पत्र के संलग्नक के पैरा-1 में वर्णित भूमि का प्रार्थी प्रथम पक्ष संक्रमणीय भूमिपर खतौदार है। प्रथम पक्ष इस भूमि को द्वितीय पक्ष को विनिमय में देना चाहता है। इस प्रार्थना पत्र के संलग्नक के पैरा-2 में वर्णित भूमि के द्वितीय पक्ष संक्रमणीय भूमिपर खतौदार है। इस भूमि को प्रथम पक्ष विनिमय में लेना चाहता है। उओप्रो शासन की प्रदेश की नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश को माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास की नीति के अन्तर्गत उक्त दोनों पक्षों ने ग्राम दुआहेडा परगना लोनी में स्थित जाले के नुथी तथा पश्चिमी पार्श्वों में आवासीय योजनाओं के विकास हेतु भूमि अर्जित की है। उओप्रो शासन की उक्त नीति के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए यह पारस्परिक विनिमय आवश्यक है। दोनों पक्ष इस पारस्परिक विनिमय के लिए पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि के लगानी मूल्य तथा विनिमय में ली जाने वाली भूमि के लगानी मूल्य में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं है। विनिमय की जाने वाली भूमि किसी को पट्टे पर या बंधक नहीं है और न ही इस पर अन्य कोई गार है। वादी द्वारा उद्धरण खर्तानी 1408 से 1413 फसली प्राग दुआहेडा खाता संख्या 705, 1130, व 2232 दाखिल की गई है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गाजियाबाद से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या दिनांक 06/07/2006 प्राप्त हुई। "तहसील आख्या में कहा गया है कि लेखपाल की पास उपलब्ध जिल्द बन्दोबस्त से प्रशंगत खसरा संख्याओं से इस भूमि की किसम जमीन के अनुसार उगफा मूल्य रेट हात किया गया तथा दोनों पक्षों की भूमियों का तुलनात्मक निवरण पत्र तैयार किया गया। प्राग दुआहेडा की भूमि जो प्रथम पक्ष की संक्रमणीय भूमिपरी है तथा विनिमय द्वारा प्रस्तावित है।

मै० लिजाक रियल एस्टेट डवलपर्स प्रा० लि०

नूतमान खसरा सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल	किसम जमीन	लगानी दर प्रति बीघा	लगानी दर प्रति है०	लगानी मूल्योंका	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
948	948/1	0.2118	रोपटा दो०	2.72	10.74	2.2747	
	948/2	0.2130	रोपटा दो०	2.72	10.74	2.2876	
						4.5623	



1. प्रार्थक के नाम 18.8.06
2. प्रार्थना के नाम 19.8.06
3. मूल्य 6.80
4. 10/9/06

गजियाबाद

ATTESTED

CRIMINAL
To S.O. G.Z.B.

टांग झूडाहेड़ा की भूमि जो द्वितीय पक्ष की संक्रमणीय भूमिधरी है तथा विनिमय द्वारा प्रथम पक्ष को भूमि मिलनी है, के खसरा का विवरण :-

श्री सूर्या मर्चेन्ट्स लि०

वर्तमान खसरा नं०	खसरा नं०	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	लगानी दर प्रति बीघा	लगानी दर प्रति हे०	लगानी मूल्यांकन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2232	✓ 1267 गि०	0.0634	रोवटा रो०	272	10.74	0.5735	
	1656	0.0238	रोवटा रो०	272	10.74	0.7560	
	1657	0.0360	रोवटा रो०	367	14.50	0.4350	
	1658	0.0124	रोवटा रो०	367	14.50	0.1798	
	1696	0.0348	रोवटा रो०	272	10.74	0.3737	
	1807	0.0606	रोवटा रो०	367	14.50	0.7337	
	1701	0.0018	रोवटा रो०	367	14.50	0.0032	
	1702	0.0065	रोवटा रो०	367	14.50	0.1377	
	✓ 1704	0.0665	रोवटा रो०	367	14.50	1.0077	
11.30	984 ✓	0.0316	रोवटा रो०	272	10.74	0.3383	
						4.9283	

प्रथम पक्ष का लगानी मूल्यांकन	4.5623
द्वितीय पक्ष का लगानी मूल्यांकन	4.9283
अन्तर	0.366
% मूल्यांकन	8.02%

उपरोक्त तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य विद्यमान जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है। दोनों पक्ष उक्त भूमियों के संक्रमणीय भूमिधर हैं। इसलिये भारा 161 ज० दि० अधि० के अन्तर्गत आवेदक की भूमि का विनिमय विद्यमान जाने की संस्तुति सहित आख्या सेवा में प्रेषित है।”

बाद दर्ज कर गजियाबाद जिल्ला प्राधिकरण, गजियाबाद व नगर निगम गजियाबाद को न्यायालय के पत्र संख्या 479/अहलमद/2006 दिनांक 07.07.2006 के द्वारा उपरोक्त नम्बरों के विनिमय के सम्बन्ध में आपत्ति/आख्या दिनांक 15.07.2006 तक उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया गया किन्तु इनकी ओर से निरात दिनांक तक कोई आपत्ति/आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है। उ०प्र० सरकार को विद्वान न्यायिक वकील राजस्व के माध्यम से रैरवी करने हेतु सगन जारी किया गया इनकी ओर से भी कोई आपत्ति/आख्या लिखित में प्रस्तुत नहीं की गई।

उभय पक्षों के अधिकारियों व विद्वान न्यायिक वकील राजस्व के शर्कों को चुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। तहसील की जॉच आख्या दिनांक 06.07.2006 से स्पष्ट है कि टांग झूडाहेड़ा की प्रस्तावित भूमि दादी/प्रतिदादी की संक्रमणीय भूमिधरी भूमि है एवं दोनों पक्षों के मध्य विद्यमान जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के



लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है चूंकि ज०दि०आधि० की धारा 185 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त विनियम के लिए प्रस्तावित भूमियों के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है इसके अतिरिक्त तहसील की जमीन आख्या में उपरोक्त भूमि का विनियम लिखे जाने की संसृति की गई है तथा किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि को विनियम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी मै० तिलाक रियल एस्टेट डेवलेपर्स प्रा० लि० बी-41, फ्लैट सोस, नई दिल्ली के ग्राम डून्डोडा के खाता संख्या 775 के खसरा संख्या 948/1 रकबा 0.02118 व खसरा नम्बर 948/2 रकबा 0.2130 है० की भूमि का प्रतिवादी मै० रूर्वा मधेन्द्रा लि० 331, सैक्टर-4, वैशाली के ग्राम डून्डोडा के खाता संख्या 2232 के खसरा नम्बर 1267/मै० रकबा 0.0534, खसरा नम्बर 1638 रकबा 0.0238, खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.0300, खसरा नम्बर 1686 रकबा 0.0345, खसरा नम्बर 1687 रकबा 0.0606, खसरा नम्बर 1701 रकबा 0.0018, खसरा नम्बर 1702 रकबा 0.0005, खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.0695 व खाता संख्या 1120 के खसरा नम्बर 984 के रकबा 0.0315 है० की भूमि को विनियम स्वीकार किया जाता है। आदेश की क प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार गाजियबाद को इस उद्देश्य से भेजी जाये कि वह उपरोक्त आदेशों का राजस्व अभिलेखों में अमल प्रथमद कराते हुए अनुपालन कानूनी एक सप्ताह के अन्दर इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।



(Handwritten signature)
05.12.04

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
रुपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर
(प्रथम श्रेणी) गाजियबाद।

जो नून्डाहेल की भूमि जो द्वितीय पक्ष को संक्रमणीय भूमि है तथा विनिमय द्वारा प्रयत्न पक्ष १ भूमि मिलती है, के अन्तर्गत का विवरण -

पक्ष २ सुपरटेक कन्स्ट्रक्शन

वर्तमान खसरा/अवि०	खसरा अ०	क्षेत्रफल	विनिमय क्षेत्र	लगानी दर प्रति बीघा	लगानी दर प्रति हे०	लगानी मूल्य/अवि०	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2202	1704	0.0145	सिटी अवि०	3.07	10.60	2.0953	
480	1035/0	0.0143	सिटी अवि०	2.72	10.74	0.1535	
						2.2488	

प्रथम पक्ष का लगानी मूल्य/अवि०	2.09470
द्वितीय पक्ष का लगानी मूल्य/अवि०	2.2488
अन्तर	0.2018
% मूल्य/अवि०	9.85%

उपरोक्त तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के परत सेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है। दोनों पक्ष उक्त भूमियों के संक्रमणीय भूमिधर हैं। इसलिये धारा 161 ज०वि०अवि० के अन्तर्गत आवेदक की भूमि का विनिमय किये जाने की संस्तुति सहित आख्या संख्या में प्रेषित है।

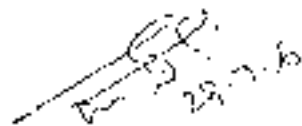
बाद दर्ज कर नाजियाबाद विभाग प्राधिकरण, गाजियाबाद नगर विभाग नाजियाबाद का पत्रासतय के पत्र संख्या 479/अहलगढ़/2006 दिनांक 07.07.2006 के द्वारा उपरोक्त नम्बरों के विनिमय के सम्बन्ध में आपत्ति/आख्या दिनांक 15.07.2006 तक उपलब्ध करने के लिए नोटिस जारी किया गया किन्तु इनकी ओर से नियत दिनांक तक कोई आपत्ति/आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है। उपरोक्त सरकार के विद्वान नानिका बकील राजस्व के माध्यम से गैरवी कराने हेतु रागन जारी किया गया इनकी ओर से भी कोई आपत्ति/आख्या दिखित में प्रस्तुत नहीं की गई।

उपय पक्षों के अधिवक्ताओं व विद्वान नानिका बकील राजस्व के तफ्ती को सुना गया एवं पत्रासतय पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। तद्विषय की जाँच आख्या दिनांक 06.07.2006 से स्पष्ट है कि प्राग नून्डाहेल की प्रयत्नगत भूमि घाटी/प्रतिद्वन्द्व की संक्रमणीय भूमि है एवं दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के परत सेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है चूंकि ज०वि०अवि० की धारा 161 के प्राधान्यों के अनुसार उपरोक्त विनिमय के लिए प्रस्तावित भूमियों के परत सेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है इसके अतिरिक्त तद्विषय की जाँच आख्या में उपरोक्त भूमि का विनिमय किये जाने की संस्तुति की गई है तथा मिलती भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जारी का प्राधान्य पत्र स्वीकार करते हुए प्रयत्नगत भूमि को विनिमय किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उत्तरेण विवेचन के आधार पर जारी की गयी डिमांड रिगल एस्टेट जल्मेगरी ५१० लि० की-६७, कन्वर्ज प्रेशर नई दिल्ली के बाग दूधगोला के जमीन राख्या १०५० के एकरा नम्बर १००५ रकवा ०.३३७७ व एकरा नम्बर १०११ रकवा ११७७० है। की भूमि का प्रतिवादी गैर सुपरटेक कॉस्ट्रक्शन अथवा सैक्टर ४, ईशानी के बाग दूधगोला के साका संख्या २२३२ के एकरा संख्या १७०४ रकवा ०.१५५५ व साका संख्या ५३० के एकरा नम्बर १०३६/३ रकवा ०.०१५३ है। की भूमि से विनिमय स्वीकार किया जाता है। आदेश की एक प्रतिलिपि तहसीलदार भाजियाबाद को इस आशय से भेजी जाये कि वह उपरोक्त आदेशों का राजस्व अभिलेखों में उचित दस्तावेज करती हुए अनुपालन आ दिया एक राज्यसद के अन्दर इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।




 २२.७.७८

(यशवंत प्रताप सिंह)
 सचिव/सचिव/सहायक सचिव
 (प्रशासन) भाजियाबाद।

नवंबर 2006

न्यायालय परामर्शकारी गणविभाग

शहद कोरीबखी

न्यायालय

उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)

गणविभाग

चौक संख्या

1/05-06

अन्तर्गत द्वारा 141 3000 जमींदारी विवाद विनियम

ग्राम झुन्डाहेडा

परगना

तोनी

तहसील

य

जिला गणविभाग

मै0 ऐरी प्रोपर्टीज प्रा0 लि0

बनाम

मै0 सूर्या मर्चेन्ट्स लि0

नवंबर निर्णय दिनांक 29-7-06

यादी मै0 ऐरी प्रोपर्टीज प्रा0 लि0, बी-47, कनाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा वरिष्ठ प्रवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2006 इस आशय से प्रस्तुत किया है कि इस प्रार्थना पत्र के सलाहक को पैरा-1 में वर्णित भूमि का प्रार्थी प्रथम पक्ष संक्रमणीय भूमिदार खातेदार है। प्रथम पक्ष इस भूमि को द्वितीय पक्ष को विनिमय में देना चाहता है। इस प्रार्थना पत्र के संलग्नक को पैरा-2 में वर्णित भूमि के द्वितीय पक्ष संक्रमणीय भूमिदार खातेदार है। इस भूमि को प्रथम पक्ष विनिमय में लेना चाहता है। उ0प्र0 शासन की प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से अनासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विवरण की नीति को अन्तर्गत उक्त दोनों पक्षों ने ग्राम झुन्डाहेडा परगना तोनी में स्थित नाले के पूँजी तथा परिधिगी पार्श्वों में अनासीय योजनाओं के विवरण हेतु भूमि अर्जित की है। उ0प्र0 शासन की उक्त नीति के सुविशेषित क्रियान्वयन के लिए यह पारस्परिक विनिमय आवश्यक है। दोनों पक्ष इस पारस्परिक विनिमय के लिए पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि के लगानी मूल्य तथा विनिमय में ली जाने वाली भूमि के लगानी मूल्य में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं है। विनिमय की जाने वाली भूमि किसी भी पट्टे पर या बंधक नहीं है और न ही इस पर अन्य कोई भार है। यादी द्वारा उद्धरण खतीनी 1403 से 1413 फराली ग्राम झुन्डाहेडा खाता संख्या 614, 113, 1186, 1185, 1153, 1130, व 2232 दाखिल की गई है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गणविभाग से आख्यः प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा की आख्यः दिनांक 08-07-2006 प्राप्त हुई। "तहसील आख्यः में कहा गया है कि दोनों पक्षों के पास उपलब्ध जितने धनोपरत से प्रस्तावित करारा संख्याओं से इस भूमि की किस्म जमीन के अनुसार लगभग परत रेट प्राप्त किया गया तथा दोनों पक्षों की भूमियों का तुलनात्मक विवरण भी तैयार किया गया। ग्राम झुन्डाहेडा की भूमि जो प्रथम पक्ष की संक्रमणीय भूमिधारी है तथा विनिमय के लिए प्रस्तावित है।

मै0 ऐरी प्रोपर्टीज प्रा0 लि0,

वर्तमान खाता/सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	लगानी दर प्रति बीघा	लगानी दर प्रति हे०	लगानी मूल्य/घन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
614	1029/1 मि०	0.1730	रोयटा आ०	2.87	14.50	2.51	
113	720 मि०	0.3470	रोयटा दो	2.72	10.74	3.73	
				0.89	25.24	0.24	

1. प्रार्थना का दिनांक 18.8.06

2. प्रार्थना की संख्या का दिनांक 19.8.06

3. नवंबर दिनांक 19.9.06

4. इस पर की गई कार्यवाही 6.50

ATTESTED

CRIMINAL ATTALMAD
To S.D.M. GZB.

यह कार्य
.....
.....

आग बुझाहेडा की भूमि जो द्वितीय पक्ष की संप्रगणीय भूमिपरी है तथा विनिमय द्वारा प्रथम पक्ष की भूमि मिलनी है, के खसरो का विवरण :-

मै० सुर्गा गजेंद्रस,

वर्तमान खसरासं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	लगानी दर प्रति बीघा	लगानी दर प्रति हे०	लगानी मूल्यांकन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1186	1257	0.0659	सेवरा सौ०	2.41	9.52	0.625	
1186	1270 / 1	0.0402		2.41	9.52	0.0383	
	1246 / 1	0.0380		2.41	9.52	0.0617	
	1672 / 1 मे०	0.0164		2.41	9.52	0.156	
	1677	0.0139		2.41	9.52	0.132	
	1682	0.0268		2.41	9.52	0.25	
1186	1681	0.0354		2.41	9.52	0.34	
453	982	0.0096		2.41	9.52	0.09	
1130	984	0.0782		2.41	9.52	0.74	
2252	1658	0.0601	रोकटा अ०	3.67	14.50	0.87	
	1701	0.0618		3.67	14.50	0.89	
	1704	0.0648		3.67	14.50	0.91	
	1702	0.0055		3.67	14.50	0.14	
						5.9187	

प्रथम पक्ष का लगानी मूल्यांकन 6.2400
द्वितीय पक्ष का लगानी मूल्यांकन 5.9187
अंतर 0.3213
प्रमूल्यांकन 5.43%

उपरोक्त तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य विद्ये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अंतर है। दोनों पक्ष उक्त भूमियों को संप्रगणीय भूमिधर हैं। इसलिये पास 161. ज०वि०अधि० के अन्तर्गत आवेदक की भूमि का विनिमय विद्ये जाने की संस्तुति सहित आख्या सेवा में प्रेषित है।

बाद दर्ज कर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद व नगर निगरा गाजियाबाद को न्यायालय के पत्र संख्या 479/अहमद/2006 दिनांक 07.07.2006 के द्वारा उपरोक्त नम्वरों के विनिमय के सन्वन्ध में आपत्ति/आख्या दिनांक 15.07.2006 तक उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया गया किन्तु इनकी ओर से नियत दिनांक तक कोई आपत्ति/आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है। उ०प्र० सरकार यो विभाग नाबिका वकील राजस्व के माध्यम से पेशी करने हेतु समन जारी किया गया इनकी ओर से भी कोई आपत्ति/आख्या लिखित में प्रस्तुत नहीं की गई।

उभय पक्षों के अधिवक्ताओं व विद्वान भागियत पकील राजस्व के रजनों को सुन गये एवं पञ्चावली पर उपलब्ध राशियों का परीक्षण किया गया। सहस्रील की जाँच आख्या दिनांक 06.07.2000 से स्पष्ट है कि ग्राम झुन्डाहेडा की प्रस्तावित भूमि वादी/प्रतिवादी की संगणनीय भूमिधरी भूमि है एवं दोनों पक्षों के गये गिये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी रेटो में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है चूंकि जमिंदारों की धारा 101 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त विनिमय के लिए प्रस्तावित भूमियों के लगानी रेटो में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है इसके अतिरिक्त सहस्रील की जाँच आख्या में उपरोक्त भूमि का विनिमय किये जाने की संसृति भी गई है तथा किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है अतः पञ्चावली पर उपलब्ध राशियों के आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र शर्तकार करते हुए प्रस्तावित भूमि को विनिमय किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी मै० ऐरी प्रापर्टीज प्रा० लि०, बी-47, फर्मांग प्लेस, नई दिल्ली ग्राम झुन्डाहेडा के खाता संख्या 614 के खसरा नम्बर 1329/1 गै० रकबा 0.1730 व खाता संख्या 113 के खसरा नम्बर 720 गै० रकबा 0.3470 है० की भूमि का प्रतिवादी मै० सूरदास गर्भनरस दि० 31, सैक्टर-4, वैशाली के ग्राम झुन्डाहेडा के खाता संख्या 1186 के खसरा नम्बर 1257 रकबा 0.1658, खसरा नम्बर 1270/1 रकबा 0.0402, खसरा संख्या 1249/1 रकबा 0.0330, खसरा नम्बर 1272/1 रकबा 0.0164, खसरा नम्बर 1677 रकबा 0.0139, खसरा नम्बर 1602 रकबा 0.0200, खाता संख्या 1185 के खसरा नम्बर 1681 रकबा 0.0354 तथा खाता संख्या 453 के खसरा नम्बर 982 रकबा 0.0095, खाता संख्या 1130 खसरा नम्बर 984 रकबा 0.0782 तथा खाता संख्या 2232 के खसरा नम्बर 1658 रकबा 0.0601, खसरा नम्बर 1701 रकबा 0.0010, खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.0048 तथा खसरा नम्बर 1702 रकबा 0.0095 है० की भूमि से विनिमय स्वीकार किया जाता है। आदेश की का प्रमाणित प्रतिलिपि सहस्रीलदार गाजियाबाद को इस आशय से भेजी जाये कि वह उपरोक्त आदेशों का राजस्व अभिलेखों में अगल दशमक करते हुए अनुमोदन आख्या एक सप्ताह के अन्दर इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।



(Handwritten signature)

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर
(प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद।

नकल संख्या 1098

गाजियाबाद जिला न्यायालय
उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)

शहद जेम्स जॉर्ज

न्यायालय गाजियाबाद।
तारीख 18/06/06 अन्तर्गत द्वारा 161 आगमन जमीन अधिनियम
प्रमाण हस्ताक्षर परमाण्वहीनी तहसील व जिला गाजियाबाद

मै० सर्व साइडी कन्सट्रक्शन प्रा० लि० बनाम मै० इनोवेशन प्रमोटर्स प्रा. लि.

प्रस्तुत निर्णय दि० 17.6.06

लगायपक्षों की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2006 द्वारा आशय से प्रस्तुत किया है कि इस प्रार्थना पत्र के सलग्नक के पैरा-1, में वर्णित भूमि का प्राचीन प्रमाण पत्र संक्रमणीय भूगोचर खातेदार है। प्रथम पक्ष इस भूमि को द्वितीय पक्ष को विनिमय में देना चाहता है। इस प्रार्थना पत्र के सलग्नक के पैरा 2 में वर्णित भूमि के द्वितीय पक्ष संक्रमणीय भूगोचर खातेदार है। इस भूमि की प्रथम पक्ष विनिमय में लेना चाहता है। संक्रमण शासन की प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवश्यक योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास की नीति के अन्तर्गत उक्त दोनों पक्षों ने ग्राम झुझाहेड़ा परमाण्वहीनी में स्थित जमाने के पूर्वी तथा पश्चिमी पार्श्वों में अवसरीय योजनाओं के विकास हेतु भूमि अर्जित की है। उक्त शासन की उक्त नीति के सुनिश्चितित क्रियान्वयन के लिए यह पारस्परिक विनिमय आवश्यक है। दोनों पक्ष इस पारस्परिक विनिमय के लिए पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि के लगानी मूल्य तथा विनिमय में ली जाने वाली भूमि के लगानी मूल्य में 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर नहीं है। विनिमय की जाने वाली भूमि किसी को पट्टे पर या बंधक नहीं है और न ही इस पर अन्य कोई भार है। वादी द्वारा उद्धरण खतीनी 1408 से 1413 करवाली ग्राम झुझाहेड़ा खाता संख्या 141, 1019, 1389 व 1460 शामिल की गई है।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गाजियाबाद से जायदादा प्राप्त की गई। तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या दिनांक 08-07-2006 प्राप्त हुई। "तहसील आख्या में कहा गया है कि जेम्स जॉर्ज के द्वारा उपलब्ध जिल्द बन्दोबस्त से प्रथम पक्ष आख्याओं से इस भूमि की किल्ला जमीन के अनुसार उनका परत. रेट प्राप्त किया गया तथा दोनों पक्षों की भूमिों का तुलनात्मक विवरण पत्र तैयार किया गया। ग्राम झुझाहेड़ा की भूमि जो प्रथम पक्ष की संक्रमणीय भूगोचर है तथा विनिमय द्वारा परतवित है।

मै० सर्व साइडी कन्सट्रक्शन

वर्तमान खातासं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	लगानी दर प्रति बीघा	लगानी दर प्रति ठे०	लगानी मूल्य/कन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1460	1034/1	0.2660	रोबटा आ०	3.67	14.50	3.8570	
	1060	0.2530	रोबटा आ०	3.67	14.39	3.0666	
1389	1034/2	0.1786	रोबटा आ०	3.67	14.50	2.5897	
		0.6976				10.1152	



1. कलेक्टर का निवास 18.6.06
2. जिलाधीन केवारी का निवास 19.6.06
3. कलेक्टर के निवास 19.9.06
4. न्याय के निवास 6.9.06

ATTESTED

CRIMINAL AHALMAN
To S.D.M. 078

कोष का
आवक का

ग्राम डून्डाहेड़ा की भूमि जो द्वितीय पक्ष की संक्रमणीय भूमिधरी है तथा विनिमय द्वारा प्रथम पक्ष को भूमि मिलनी है, के खसरा का विवरण :-

मै0 इनोवेशन प्रमोटर्स प्रा0 लि0

वर्तमान खसरासं0	खसरा सं0	क्षेत्रफल	किस्म जमीन	लगानी दर प्रति बीघा	लगानी दर प्रति है0	लगानी मूल्यांकन	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
141	1043	0.5271	सेवटा दो0	2.72	10.74	5.5611	
	1045/2	0.0065	सेवटा दो0	2.72	10.74	0.0698	
	1262	0.1520	सेवटा अ0	3.67	14.50	2.204	
	1285	0.0990	सेवटा अ0	3.67	14.50	1.4355	
						9.3704	

प्रथम पक्ष का लगानी मूल्यांकन 10.1152
द्वितीय पक्ष का लगानी मूल्यांकन 9.3700
अन्तर 0.7452
% मूल्यांकन 7.95%



उपरोक्त तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी रेटों में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है। दोनों पक्ष उक्त भूमियों के संक्रमणीय भूमिधर हैं। इसलिये धारा 161 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत आवेदक की भूमि का विनिमय किये जाने की संस्तुति सहित आख्या सेवा में प्रेषित है ”

वाद दर्ज कर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद व नगर निगम गाजियाबाद को न्यायालय के पत्र संख्या 479/अहलमद/2006 दिनांक 07.07.2006 के द्वारा उपरोक्त नम्बरो के विनिमय के सम्बन्ध में आपत्ति/आख्या दिनांक 15.07.2006 तक उपलब्ध कराने के लिए नोटिस जारी किया गया किन्तु इनकी ओर से नियत दिनांक तक कोई आपत्ति/आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है। उ0प्र0 सरकार को विद्वान नामिका वकील राजस्व के माध्यम से पैरवी करने हेतु समन जारी किया गया इनकी ओर से भी कोई आपत्ति/आख्या लिखित में प्रस्तुत नहीं की गई।

उभय पक्षों के अधिवक्तागणो व विद्वान नामिका वकील राजस्व के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यो का परीक्षण किया गया। तहसील की जाँच आख्या दिनांक 06.07.2006 से स्पष्ट है कि ग्राम डून्डाहेड़ा की प्रश्नगत भूमि वादी/प्रतिवादी की संक्रमणीय भूमिधरी भूमि है एवं दोनों पक्षों के मध्य किये जाने वाले विनिमय के लिए प्रस्तावित खसरा संख्याओं के लगानी रेटो में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है चूँकि ज0वि0अधि0 की धारा 161 के प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त विनिमय के लिए प्रस्तावित भूमियों के लगानी रेटो में 10 प्रतिशत से कम का अन्तर है इसके अतिरिक्त तहसील की जाँच आख्या में उपरोक्त भूमि का विनिमय किये जाने की संस्तुति की गई है तथा किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार

(Handwritten signature)

पर जारी कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रस्तावित भूमि को विनिमय किया जाता उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर नतीजा यह प्राप्त सांझी कन्सल्यूवन्स प्रोटिओ, सी-47 कन्सल्ट फोस, नई दिल्ली की ग्राम झुन्डाहेडा, परमना लोनी, ताहसील व जिला गाजियाबाद स्थित भूमि खाता संख्या 1460 के खसरा संख्या 1034/1 रकबा 0.2660 है। व 1060 रकबा 0.2530 व खसरा संख्या 1389 के खसरा संख्या 1034/2 रकबा 0.1700 को भी इन्फोर्मेशन प्रोटोटास प्राप्ति, 9 रीनड्रस एकेयू गहाराजी बाग, नई दिल्ली की ग्राम झुन्डाहेडा स्थित भूमि खाता संख्या 141 के खसरा संख्या 1043 रकबा 0.5271 है। 1045/2 रकबा 0.0065 है। 1262 रकबा 0.1520 है। व खसरा संख्या 1205 रकबा 0.0890 है। की भूमि से विनिमय स्वीकार किया जाता है। आदेश को प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार गाजियाबाद को भरा आशय से भेजी जाये कि वह उपरोक्त आदेशों का राजस्व अधिकारियों में उक्त दरमाम करतै हुए अनुपालन आस्था एक तप्राह के अन्दर इस खातालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।




 (धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
 उपजिलाधिकारी/साहायक कलेक्टर
 (प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद।

218/14-01-05

(13) (11) (3)

218/14-01-05

B2A, B2B

1045/2
10431
1262
1265



17

03DD 992211

Spdore

विक्रय पत्र अंकन 28,54,840/- रुपये का :-

स्टाम्प अंकन 2,85,500/- रुपये का :-

विक्रय भूमि का विवरण- कृषि भूमि रकबई 4.71875 एकड़ अर्थात् 1.911 हेक्टेयर अर्थात् 7-11-0 पुखता का 1/4 भाग रकबई 1-17-15 पुखता स्थित ग्राम हुंटा देडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) जिसे आगे चलकर विक्रय कृषि भूमि कहा गया है । जो कि विक्रय है उपरोक्त भूमि पर कुल भूमि लगान 99/- रुपये 15 पैसे सालाना है जो कि कृषि भूमि है व

कि.प्र. प्रदीप सिंह

ht



VIRENDRA
 CIVIL COURT COMPOUND
 Ghaziabad



13 JAN 2015

Mr. Shrihari Properties Pvt. Ltd. 10 Delhi

कै 28540203

13.1.15

1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु.
 श्री ...
 पुत्र ...
 पुत्र ...
 पुत्र ...
 पुत्र ...
 पुत्र ...

श्री ...



लेखक ...

अवधि 28540203

लिखित ...

पुत्र ...

पुत्र ...

पुत्र ...

पुत्र ...

पुत्र ...

पुत्र ...



145371

0300 992210

कृषि हव्वा जेता को निजाय है । मैजरेट के मध्य बिन्दु से हटकर 500 मीटर से अधिक दूरी पर है । सरकारी कृषि भूमि दर 9,60,000/- रुपये प्रति एकड़ है, जबकि स्टाम्प हमसे अधिक के दियान से निजाल कृषि भूमि की सभी मौमन उपयोगत पर निष्पत्तुपर अदा किया गया है जो कि निर्धारित दर से अधिक पर अदा है ।
बैनामा में नक्शा नवरी संलग्न है ।

पिन नमूने संलग्न है

[Signature]



[Signature]

Civil Court, Ghaziabad



03DB 992209



हम कि श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी ग्राम
विपिनवा बजुर्गा पणना त तहसील सादरी जिला पोथम बुद्ध नगर
प्रथमपक्ष निवेता । जिन्हे आगे चलकर लिखता कहा गया है ।

पुनः डा. २५/०१/१९६८



[Handwritten signature]



03DD 992208

एवं मैसर्स स्फेयर प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, नो 47,

कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा श्री घनानन्द वशिष्ठ

पुत्र श्री रेकराम वशिष्ठ अशोर्हन्ट मिगनेरी कंपनी अन्तर्गत हिवोवपल

क्रेता । विन्दे आगे चलकर क्रेता कहा गया है ।

19.10.2008



[Handwritten signature]



03DD 992207

इस वेंचामे मे विक्रेता व क्रेता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारी एवं
वैधानिक व न्यायिक प्रतिनिधिगण आदि सम्मिलित समझे जावेगे ।

विदित हो कि कृषि भूमि रकबई 4.71875 एकड़ अर्थात 1.911
हेक्टेयर अर्थात 7-11-0 पुखता लगानी 59/-रुपये 15 पैस सम्बंधित
खाता खतौनी नम्बर-141 सम्बंधित खसरा नम्बर-1043 रकबई 1.265

हेक्टेयर व खसरा नम्बर- 1045/2 रकबई 0.013 हेक्टेयर व खसरा
नम्बर-1262 रकबई 0.304 हेक्टेयर व खसरा नम्बर- 1265 रकबई

0.329 हेक्टेयर योग नम्बरन-4, रकबई 1.911 हेक्टेयर का 1/4

7/9/2019



[Handwritten signature]



0300 992206

भाग एकलई 1-17-18 पुस्तक आर्गन 1.17968 एकलई स्थित
 पाम ईडा हेडा पापक रानी लहसीस व विस्वा मजिनावादा (जलर
 प्रदेश) का धर्मपक्ष निरुद्धपण मानिक काविज व संक्रमणीय
 भूमिधर धूसवाणी है उक्त नम्यगन व मूल विक्रम के 1/4 भाग को
 भूमि आज दिन तक हर प्रकार के बंधक भार परवारी दनदारी व
 अन्य लोन आदि आदि से मुक्त है. कही अन्य जगह अच. गहन
 चय, हिन, महाराज्यय आदि आदि में परत नही है । शिलचिन्त्यन
 निरुद्ध में किसी प्रकार का कोई दोष व बुरि नही है. हर प्रकार के

13 JUN 18
 0300 992206

[Handwritten signature]



03DD 992205

नद विवाद से मुक्त है । अब मुदा विवेकता ने अपनी खुशी व
 राजमन्त्री गुरु वृद्धि व स्वास्थ्य इन्दियों के साथ बिना किसी डर
 रक्षा व सहकार के एवावित जीव हुए मय तमाम हक हकुक
 भारतीयता दम्बिली आरित्री हर विनाप गवे करुणा आदि आदि को
 मय हक आरुह व अन्य प्राप्त मर्मा अधिकारों सहित आज की
 तारीख से नदले अंकन 28,54,840/-रुपये (अठ्ठाईस लाख चत्वार
 हजार आठ सौ चालीस रुपये) अथ जिसके अंकन 14,27,420/-रुपये
 (चौदह लाख सत्ताईस हजार चार सौ बीस रुपये) होते हैं, वे

यह एक द्वितीयपक्ष केन्द्र सम्पत्ती उपयोग के वी विक्रय का दिना है, और

7/10/2015

[Signature]

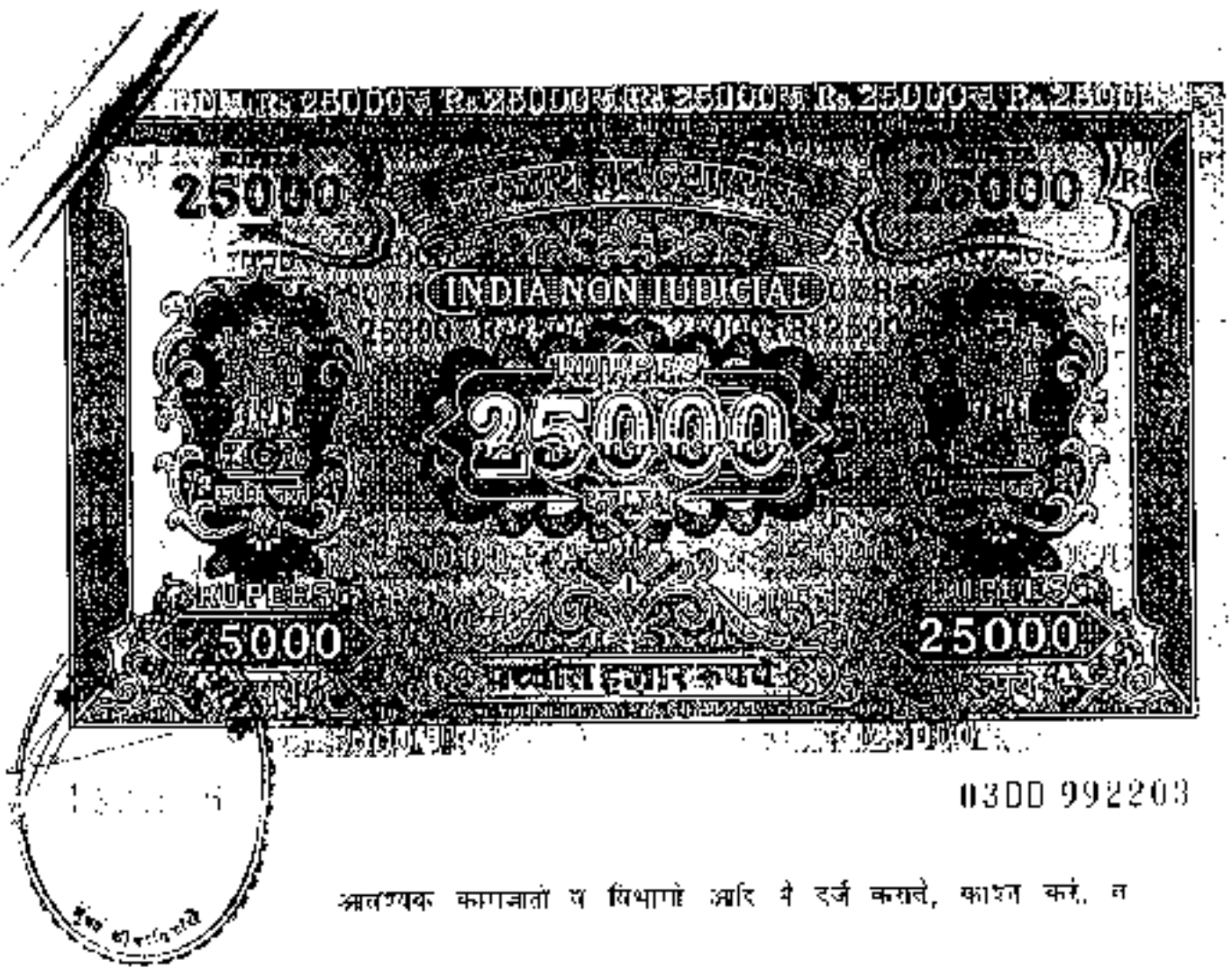


0300 992204

इस योजना के अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकें मूल्य मुक्त होंगी।

1. The first step is to identify the problem.

[Signature]



आवश्यक कागजातों व विभागों द्वारा वे दर्ज कराते, काशन करे, व अन्य कोई कार्यवाही करे, अर्थात् जिस प्रकार चाहे आपन मालिकाना हकूम में त्याकर भाग उठावे । हम निरुद्ध या हमारे वाकिफत का निरुद्ध भूमी में कोई मालिकाना हकूमता या सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है । मर्ज है कि यदि कुछ निरुद्ध के अनाधिकार में या किसी कानूनी नुकस नालास के कारण उक्त कृषि भूमि का कुल रा

खुद और केवल उपायकत कर्माती के बन्ना व दखल मालिकाना से

18/11/61



[Handwritten signature]



03DD 992202

निकल जावेगा तो ग्रेव को अधिकार हांगा कि वट कबले से निकल
जाने सारी कृषि भूमि की सम्पत्ति धनराशि मरे व्याज व इजें लखें
आदि के विक्रेता व विक्रेता के वास्तविक की चल अचल सम्पत्ति से
जिस प्रकार नष्ट वसूल करले । कोई अपर्ति नही रागी । ५
राज्य प्राधिकारी अथवा अन्य द्वारा हुए विक्रय पत्र से सम्बंधित भूमि

कि रा. ५८८८८ दि. २.



[Handwritten signature]



कं रजिस्ट्रेशन के दिनांक तक की कर आदि की फिसों भी देसवारी
 कर दायित्व भूमि मिकेला बन होगा । और बाद इसके तदर्थ जेका
 उत्तरदायी होगी । मुझ मिकेला ने उक्त सम्पत्ति में अपना सम्पूर्ण
 हिस्सा मिकेला किया है । उक्त भूमि पाप समाज व पदरे शुद्ध
 अथवा तक्क की नहीं है । मिकेला अनुसूचित जाति या अनुसूचित

जन जाति से नहीं है ।
 १० मार्च १९६८


Handwritten signature



03AA 614207



अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण यह और समय पर चरम
आतं । यह चनामा विक्रय के पिछले मागजात अनुसार न विक्रयता न
ग्रन्त के बताये अनुसार लिखा गया है ।

विवरण समुदायी कुल धनशक्ति का :

अंकन 28,54,840/- रुपये चेक नंबर 477846 दिनांक 12 01-2005

पंजाब नेशनल बैंक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा विक्रयता न होता

कायनी से पंजाबी वसुल भये ।

फै. प्र. उ. हलके लिख

[Handwritten signature]



MANOJ SHARMA ARCHITECTS

CH. NO. 85, YERSIL COMB. OZB.



19. 10. 2014

20. 10. 2014

MANOJ SHARMA

Architects, Engineers, Planners

Int. Designers & CDRs

ARCHITECTNO-COMBINE

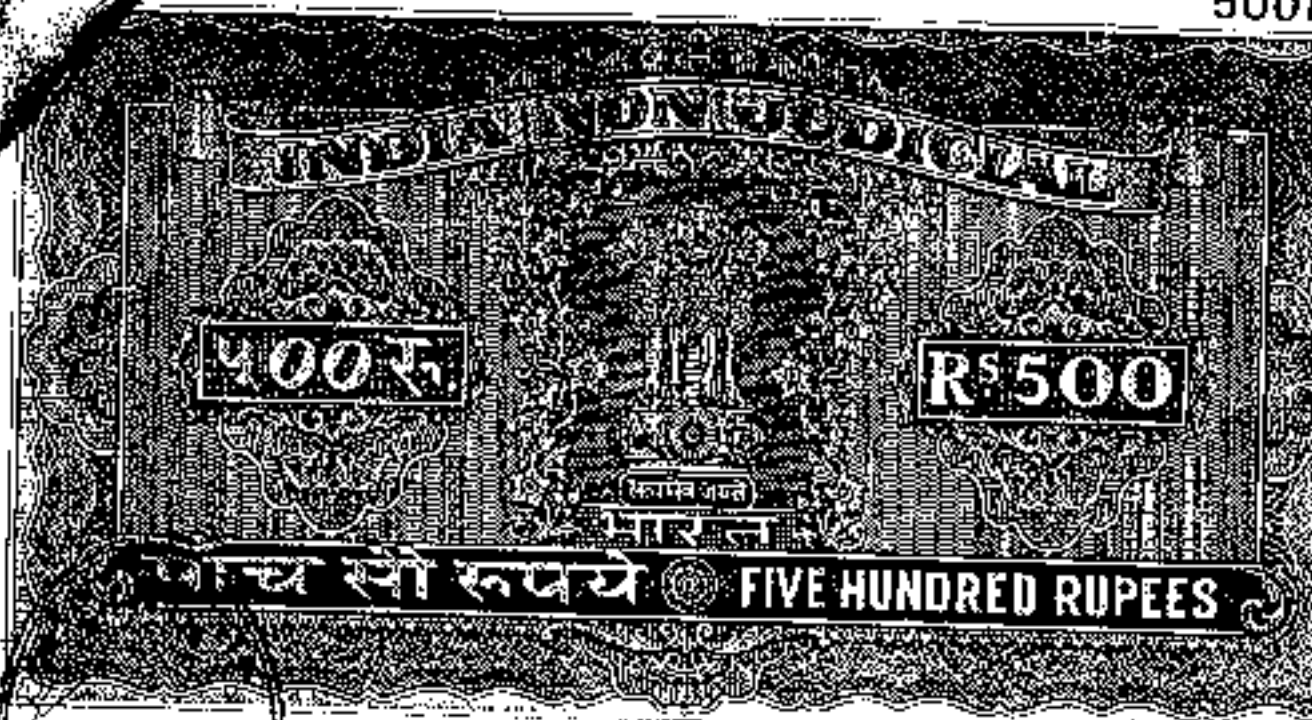
CH. NO. 85, YERSIL COMB. OZB.

PH. : R-2766133, M-9841504099

10. 10. 2014

10. 10. 2014

(PAGES ON DRG. SUPPLIED BY OWNER) 20. 10. 2014



Dr. M. S. Srinivasan



Signature

मसाला नं० १
 (सिंहगुप्त) १००० रु. के लिये
 २००० - २००० - २०००
 गैरमजदूर कागज



मसाला नं० २
 Mukesh Chandra & Co. Ltd. 10, Dhara Road
 C-1/100, Gurgaon, Haryana
 110001, New Delhi



दिनांक १४-०१-२००५ मसाला नं० १ का सिंगल एडलोकट नमूना
 नमूना-१६, तहसील कापडाऊड गाजियाबाद।

Signature
 Civil Court
 Gurgaon

13 JAN 2005
 13 JAN 2005
 13 JAN 2005

9/8
 5874 313 318
 कही न० 1 जिल्द न० के पुष्प नम्बर
 को आज दिनांक 14/1/05 को रजिस्ट्री की गई।

स० र० प्रथम
 गाजियाबाद



217/14-01-05

1

31 (18)
217
14.01.05



B2A, B2
Lilac

(18)

03DD 992176

चित्रण पत्र अंकन 28,54,840/- रुपये का :-

स्यम्प अंकन 2,85,500/- रुपये का :-

चित्रण भूमि का विवरण- कृषि भूमि एकवर्ग 4.71875 एकड़ अर्थात् 1.911 हेक्टेयर अर्थात् 7-11-0 पुखत का 1/4 भाग एकवर्ग 1-17-15 पुखत स्थित ग्राम हुंदा हुंदा परगना तौली तहसील व जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) जिले आगे चलकर चित्रण कृषि भूमि करवा गया है । जो कि चित्रण है उपरोक्त भूमि पर कुल भूमि लगान 99/- रुपये 15 पैसे सालाना है जो कि कृषि भूमि है व

1043
1045
1265
1262

राम

Ch



VIREN

L. SINGH
VOCAL B

Civil Court, Meerut

Uttar Pradesh

13 JAN 2011

Mrs. Lilac Red. Estate. Dandobara, P.O. Loh, Dist. Deoria

28548401

13-1-11

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-



राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

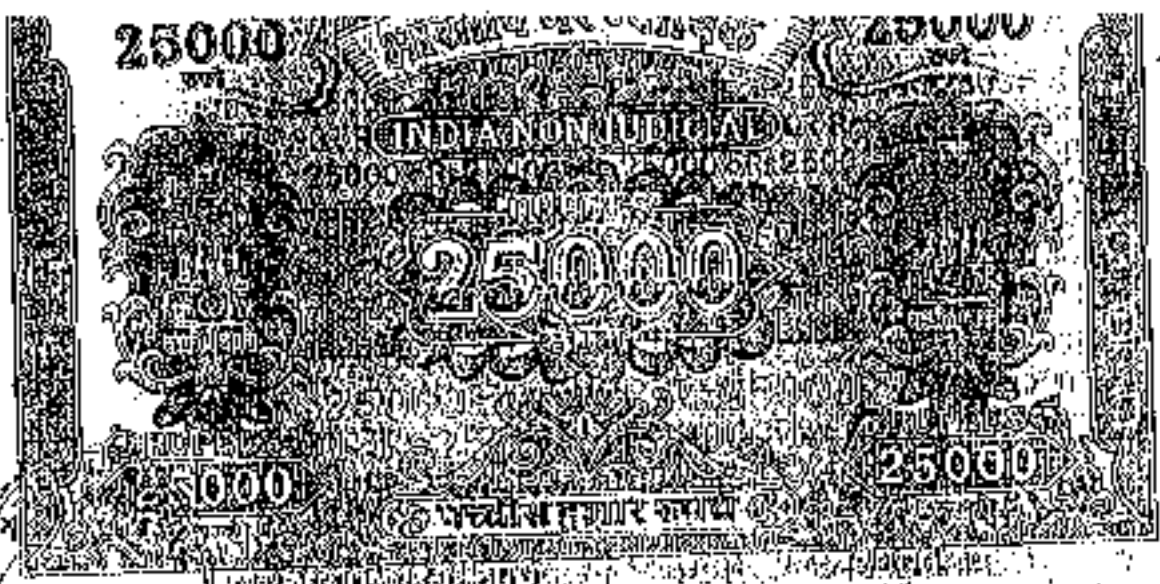
राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-

राजि. शुल्क 2000/-



0300 992175

गृह से ज़ेना का विज्ञापन है । जेपोंड के मध्य बिन्दु से दूरतरा
 500 मीटर से अधिक दूरी पर है । मध्यतरी गृह भूमि पर
 9,60,000/-रुपय प्रति एकड़ है, क्योंकि मध्यम रूपसे अधिक की
 हिसाब से विज्ञापन गृह भूमि की घनी कृषि उपजों पर नियमानुसार
 अग्रे किया गया है जो कि निर्धारित दर से अधिक पर अग्रे है ।
 संस्था में कृषि वृद्धि योजना है ।



3 June 1955

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Chief Clerk



13 JUL 1995

1. प्रश्न
 2. उत्तर
 3. प्रश्न
 4. उत्तर
 5. प्रश्न
 6. उत्तर
 7. प्रश्न
 8. उत्तर
 9. प्रश्न
 10. उत्तर

12-4-65

[Signature]

[illegible]



03ED 992174

इस कि रखाग सिंह पुत्र श्री रामचरण सिंह निवासी १८५ त्रिपुलान्त
 वृद्धो पुराना व नरमाल शरीर निवासी निवासी वृद्ध नगर प्रथमपक्ष
 निवासी । निम्न आगे बचत निम्न करत गत है ।



Handwritten signature or mark.



13 JAN 1993

03DD 992173

एव मैसर्स लिलेक रियल एस्टेट्स डेवलपर्स प्राइवेट
लिमिटेड, बी-47, कनाट फ्लेम. नई दिल्ली-110001. द्वारा श्री
धनानन्द वशिष्ठ पुत्र श्री रेकस वशिष्ठ अर्थात् अर्जुन वशिष्ठ
कम्पनी द्वारा द्वितीयपक्ष जेता । जिन्हें आगे अलावर जेता कहा
गया है ।

[Handwritten signature]





03DD 992172

इस खेती में विक्रेता व क्रेता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारी एवं
वैधानिक व व्यापिक प्रतिनिधिगण आदि सम्मिलित समझे जायेंगे।

विवरित हो कि कृषि भूमि एकवर्ग 4.71875 एकड़ अर्थात् 1.911

हेक्टेयर अर्थात् 7-11-0 पुखता लगानी 59/-रुपये 15 पैसे सम्बंधित

खाता खतोनी नम्बर-141 सम्बंधित खसरा नम्बर-1043 एकवर्ग 1.265

हेक्टेयर व खसरा नम्बर-1045/2 एकवर्ग 0.013 हेक्टेयर व

खसरा नम्बर-1262 एकवर्ग 0.304 हेक्टेयर व खसरा नम्बर-1265

एकवर्ग 0.329 हेक्टेयर योग नम्बर-4, एकवर्ग 1.911 हेक्टेयर

का 1/4 भाग एकवर्ग 1-17-15 पुखता अर्थात् 1.17968

एकड़ स्थित ग्राम इंडा हेडा पणना तानी तहसील व



22/1/71



0300 992171

जिला मालिकानाद (उत्तर प्रदेश) का प्रथमपक्ष विहंगा यानिक
 अर्थिक व संक्रमणीय भूमिभर भूखण्डों ई अन्त नम्यमान में मुझ
 विहंगा का 1/2 भाग की भूमि अन्त दिन एक ही प्रकार का चयन
 भार मरवाए देनागे द आन नोन आर आरि में मुख्य ई, फर्की
 अन्य जगह अर, मदन, नन, हिले, महीनमान आरि आरि में मरत
 नदी ई । मिलाकियत विहंगा में कियी परत का कोई नम्य व छुटि
 नही ई, हर प्रकार के तार विवाद न मरत ई । अन्त मुख्य विहंगा
 में अपनी लुहा व खण्डनी भूत छुटि व मरत इन्विक के मरत
 मिला कियी हर मरत न मरत के मरतियन मरत ही मरत मरत



2/11/12

[Handwritten signature]



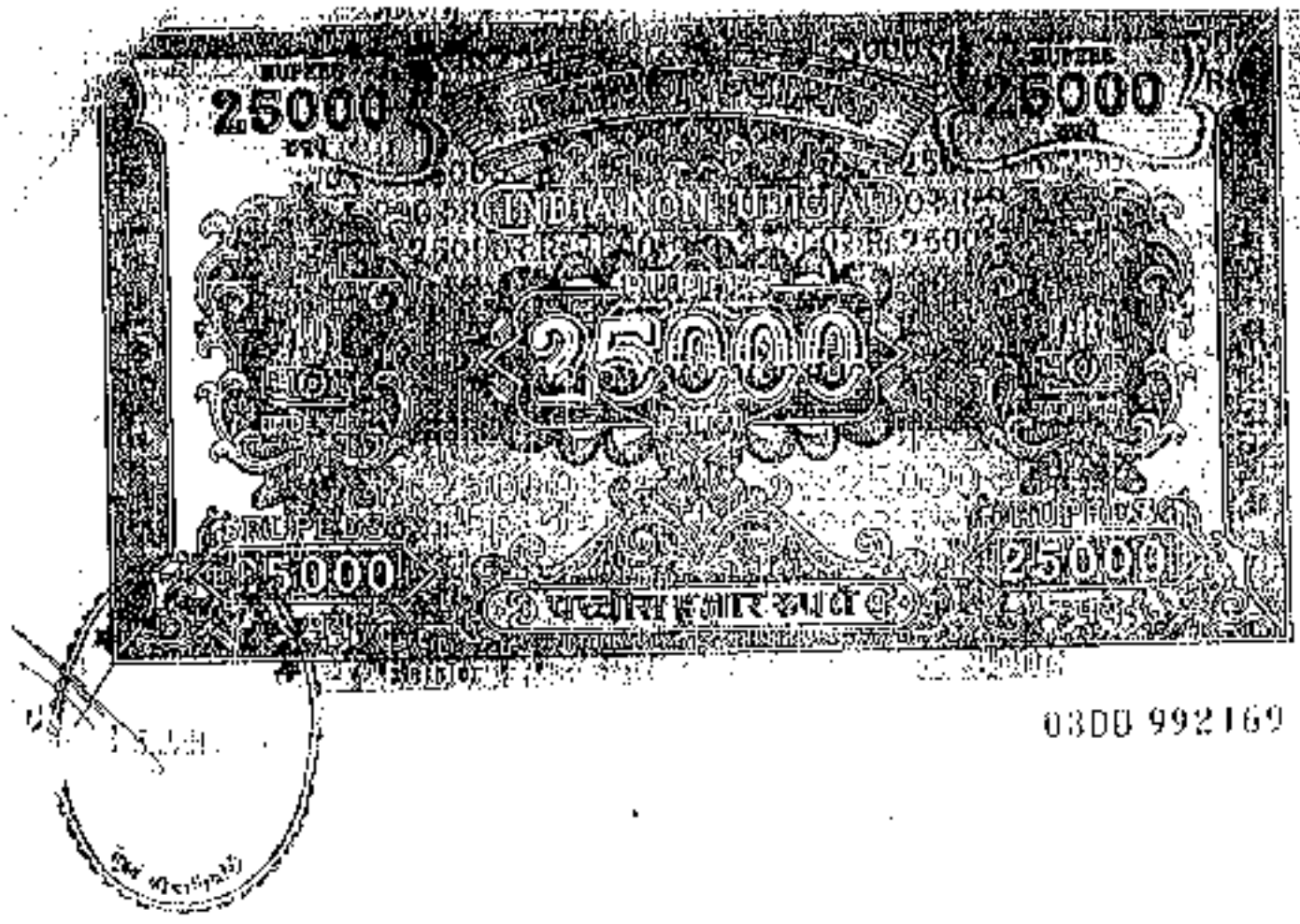
0309 992170

हक एकदम मालिकान सशिली सारिली हा मिमम गये कलजा अरि
 आदि को गये हक कायदा व कलजा प्राप्त सभी अधिकारों सहित आज
 को तारीख में बदले अंकन 28,54,810/- रुपये । आठदश लाख
 नब्बन हजार अठ (8) सौ चालीस रुपये) आठ जिस्को अंकन
 14,27,420/- रुपये (चोहद लाख सत्ताईस हजार चार सौ बीस रुपये)
 होते है, में पहला हिस्साका अंका कायदा उपरोक्त को विज्ञान कर
 दित्त है और नच विधा है तथा कुल भवदशि निम्न प्रकार से बयूर
 पा रही । कुल बाकी नही रहा है । विज्ञान भूमि कृषि है तथा



सचिव

हस्ताक्षर



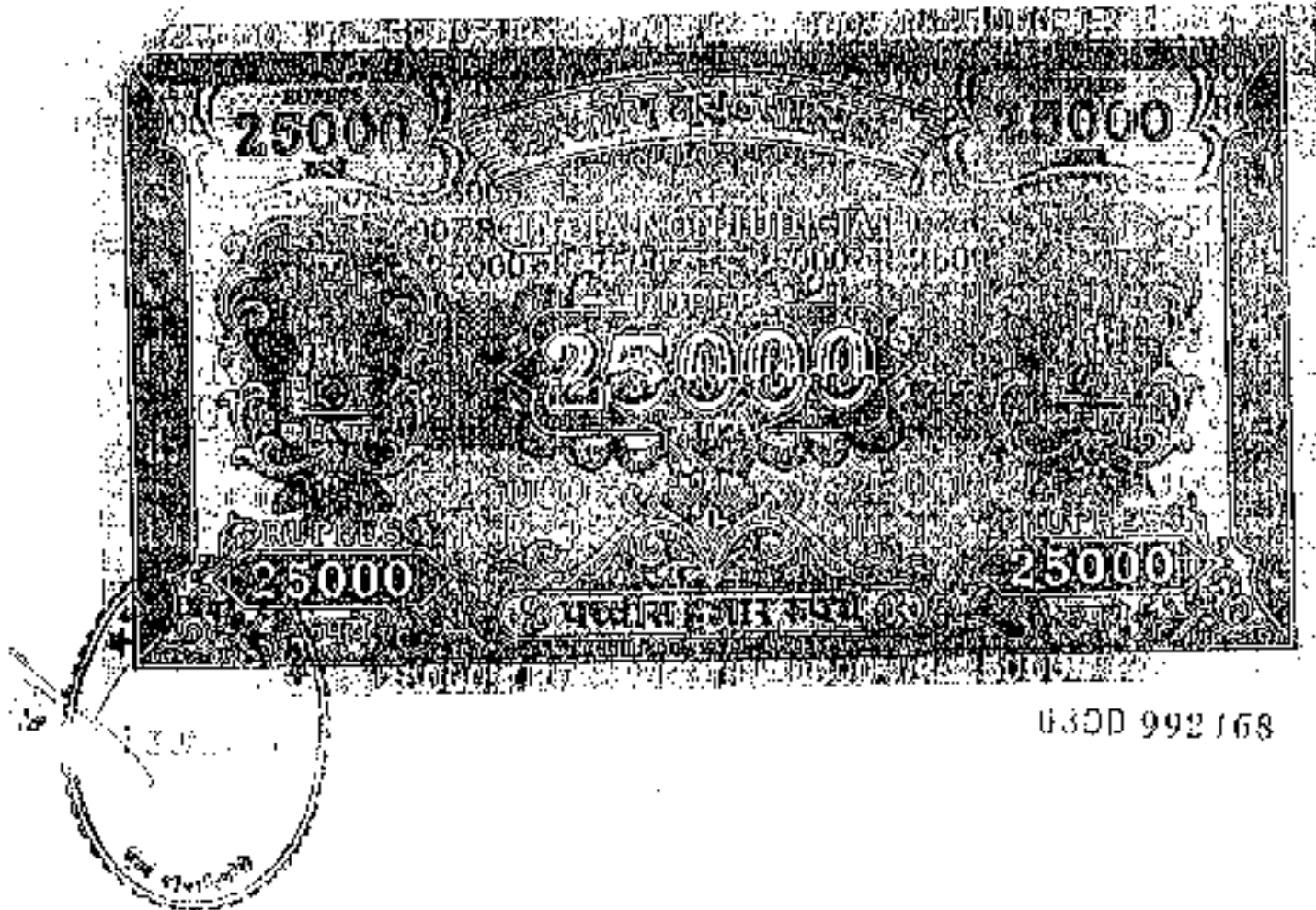
03DB 992169

भूमि हेतु गय है, जो फसली है मिनाई का माधन यगार के खेत
 को नलाफुन से है । १० अथवा निम्न कृषि भूमि में कई पत्तन
 बोई हुई नहीं है, यदि गोबर पर छाया है । वास्तव में यह
 कम्पनी का वास्तविक रूप से काम दिया है । जिसकी अब इसी
 कम्पनी पूर्णतः अधिकार बन गयी है । इसी कम्पनी का अधिष्ठा
 अधिकार है कि वह उसका कृषि भूमि को जिय पहाड़ चले
 गहनित भावकता प्रयास में जाय । कृषि भूमि को विद्युत जाल
 का, बिजली का उपकरण का, इस कम्पनी का जगह पर बनना गय



२२/११/६०

[Handwritten signature]



U3DD 992168

सरकारी गैर सरकारी व अन्य आवश्यक कारगजों व विभागा अदि
 में राजी कराय, कसब कर, व अन्य कोई कारगजाती कर, अथवा
 किस प्रकार कोई अपने अधिकारता इच्छुक में लागत साथ उत्तर ।
 हम विवेका या हमारे अधिकारता वल विवेक भूमि में कोई साविकता
 लागत या समर्थता नहीं रहा है । राज है कि यदि कुछ विवेका
 में अधिकारता में या किसी कानूनी मुद्दे या साधन के कारण अन्य
 साधन भूमि का कुल या कुछ भाग ऐसा उत्तरता करगती व करगती
 व उत्तरता साविकता व विवेक अथवा या कल वल अधिकारता हाथ

24/5/21



03DD 992167

कि वह कचरे से निकल जाये कलसे यदि भूमि की मर्याद भर्त्सना

में व्यवस्था व हजेर खर्च यदि के विज्ञान व विज्ञान के वर्तमान के

नल अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार गढ़ नगुन करके । कोई

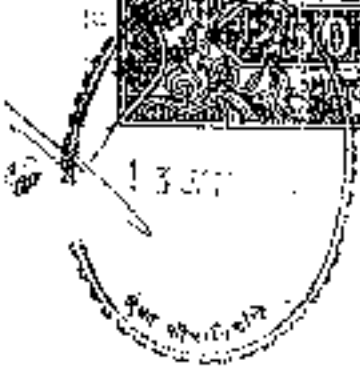
अवस्थिति नहीं होगी । भू: राजस्व अधिकारी अधिन: अन्य जग इस

विद्यमान पत्र से सम्बंधित भूमि के रजिस्ट्रेशन के दिनेक तक को कर

अदि की किसी भी हेतुओं का दाखिल भूमि विक्रेता का होगा ।

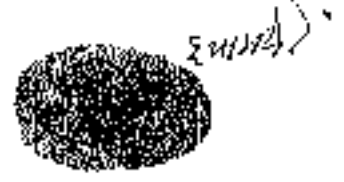


[Handwritten signature]



0300 992166

आप चाहे इसके बदले कुछ अवसरों पर दान । कुछ विज्ञान के उद्देश
विकास के अपने सम्पूर्ण विज्ञान विज्ञान विज्ञान है । उक्त भूमि ग्राम
समाज ल एट द भुक्त अवस्था वक्त वक्त है । विज्ञान आसुचित
आति या अनुसुचित इन बातों में नहीं है ।



[Handwritten signature]

मानव शक्ति का प्रयोग करने के लिए
आवश्यक है कि हम अपने शक्ति का प्रयोग करने के लिए



मानव शक्ति
मानव शक्ति का प्रयोग करने के लिए
आवश्यक है कि हम अपने शक्ति का प्रयोग करने के लिए
आवश्यक है कि हम अपने शक्ति का प्रयोग करने के लिए

मानव शक्ति

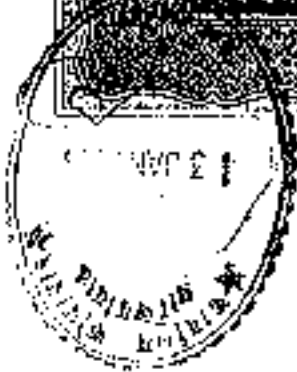
मानव शक्ति

(PROSECUTED BY OWNER) H.T.

500 ₹

R 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES



[Signature]

1. Definition
 Ein Polynom ist ein Ausdruck der Form

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$
 wobei $a_0, a_1, \dots, a_n$ reelle Zahlen sind und x eine Variable ist.



Mukesh Chandra Shiksha
01/12/2005
Zachary, Adam, and John
New Delhi



दिनांक 14.01.2005 गंगाधर गौतम, बाल सिंह, मृतवादी चक्रवर्ती

[illegible]


 S. SINGH
 State
 Ground

44

1/10 1955
 13 11 1955

कड़ी नं० १ दिव्य नं० 155-1919
 को जल विभाग 14/11/55 को रजिस्ट्री की गई

स० र० प्रथम
 गाजियाबाद

